

पर्चा डिक्री  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) एवं सहायक कलक्टर टिब्बी,  
जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :- श्री सत्यनारायण आर.ए.एस.

मि०न० - 297/2024

अनवान :-

1. संजू कुमारी पत्नी सुखवीर जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।
2. परिक्षा देवी पत्नी धर्मवीर जान्दू जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़।

वादीगण

बनाम

1. रामप्रताप पुत्र देवीलाल जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़
2. संतो पत्नी रामप्रताप जाति जाट निवासी तलवाडा झील तहसील टिब्बी जिला हनुमानगढ़

प्रतिवादीगण


डिक्री

दिनांक... 29/11/24

आज यह वाद मुझ सत्यनारायण उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर टिब्बी के समक्ष वकील वादी श्री अनिल सिडाना व वकील प्रतिवादी श्री विक्रम यादव अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादी की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाकर घोषणा की जाती है कि चक नम्बर 5 टी.एल.डब्ल्यू. जमाबंदी सम्वत् 2075 ता 78 खाता संख्या 210/190 में दर्ज कुल 3.036 हैक्टर आराजी की वादीगण को ब०हि०ब० खातेदार काश्तकार घोषित किये जाकर चक नम्बर 5 टी.एल.डब्ल्यू. के खाता संख्या 210 /190 में से प्रतिवादी संख्या 1 रामप्रताप का नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिए जाते है। तहसीलदार टिब्बी को आदेशित किया जाता है कि यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय का स्थगन नही हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 29/11/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।



  
(सत्यनारायण R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर  
राजस्व  
टिब्बी